प्रेस नोट दिनांक 30.07.2024 जनपद प्रतापगढ़

थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना संग्रामगढ़ पुलिस द्वारा चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण।

चोरी के अभियोग से संबंधित 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार।

चोरी, गैंगस्टर व आर्म्स एक्ट के अभियोग में गिरफ्तार अभियुक्त पूर्व में जा चुके हैं जेल।

गैंग बनाकर योजनाबद्ध तरीके से अभियुक्तों द्वारा चोरी की घटनाओं को कारित करने वाले अभ्यस्त अपराधी गिरफ्तार।

थाना संग्रामगढ़ में बीडी इंटर कॉलेज व स्नात्कोत्तर महाविद्यालय पूरे बुद्धिधर पुरेली मखदुमपुर व मिश्रा आटो मोबाइल पेट्रोल पम्प बाबागंज में हुई चोरी की घटना में थे संलिप्त।

गिरफ्तार अभियुक्तों के साथ उनके गिरोह में शामिल अन्य 04 अभियुक्तों को किया गया चिन्हित।

चोरी के अभियोग से संबंधित 01 मॉनिटर, 01 माउस, 01 डीवीआर(क्षतिग्रस्त), 02 कैमरा, बिजली का केबिल लगभग 25 फीट, 03 टूटा हुआ ताला व 10 हजार रूपये बरामद संबंधित मु0अ0सं0- 170/24

चोरी की 01 बैटरी बरामद संबंधित मु0अ0सं0- 169/24

बरामद मोटर साइकिल को अन्तर्गत धारा 207 एमवीएक्ट में सीज

प्रतापगढ़।

दिनांक 27/28.07.2024 की रात्रि में बीडी इंटर कॉलेज व स्नात्कोत्तर महाविद्यालय पूरे बुद्धि धर ग्राम पुरेली मखदुमपुर थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ के सीसीटीवी कैमरा, डीवीआर, माउस, बिजली के केबल, रूपये व मिश्रा ऑटो मोबाइल्स पेट्रोल पम्प बाबागंज के जनरेटर की बैटरी चोरी के प्रकरण में थाना संग्रामगढ़ में पंजीकृत अभियोग से संबंधित 02 अभियुक्तों को चेकिंग के दौरान थाना संग्रामगढ़ पुलिस द्वारा मैनुअल/ वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर पहचान कर चोरी के

इलेक्ट्रॉनिक सामान/बिजली के तार, नकद रूपये व बैटरी के साथ गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में चोरी की घटनाओं का त्वरित अनावरण व अपराध में संलिप्त अपराधियों के गिरफ्तारी हेतु दिये दये सख्त निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी व क्षेत्राधिकारी लालगंज के कुशल नेतृत्व में दिनाँक 29.07.2024 को थाना संग्रामगढ़ के उ0नि0 प्रभाशंकर सचान मय हमराह उ0नि0 विनय वर्मा, का0 मन्दीप सिंह, का0 धनन्जय श्रीवास्तव द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित वारण्टी व चेकिंग के दौरान थाना संग्रामगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0- 169/2024 धारा 303(2), 317(2), 317(4) बीएनएस तथा मु0अ0सं0- 170/2024 धारा 305,331(4), 317(2), 317(4) बीएनएस से संबंधित अभियुक्तों की जानकारी मुखबिर द्वारा मिली कि अभियुक्तगण मानिकपुर से रामपुर दाबी के रास्ते रजैसा चौराहे होते हुये काशीपुर बाभन की बखरी के रास्ते होते हुये पुरे बुद्धिधर कॉलेज से चुराये हुये सामान को बेचने के लिए बिना नम्बर प्लेट की टीवीएस स्पोर्ट मोटर साइकिल से सामान को बोरी में लेकर प्रतापगढ़ जा रहे है। मुखबिर की इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुँचकर काशीपुर चौराहे पर चेकिंग के दौरान बिना नम्बर प्लेट की टीवीएस स्पोर्ट मोटर साइकिल पर सवार 02 व्यक्ति को पुलिस हिरासत में लेकर चोरी घटना के समय का सीसीटीवी विडियो दिखाकर पहचान की गयी तथा 02 अभियुक्तों 01- समीर अहमद पुत्र सिराज अहमद उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम पूरे अली नक्कीपुर थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़, 02-बिलाल अहमद पुत्र अफताब अहमद उम्र करीब 28 वर्ष ग्राम

अलीगंज थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया । बरामद मोटरसाइकिल को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया है।

बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0- 169/2024 धारा 303(2) बीएनएस तथा मु0अ0सं0- 170/2024 धारा 305,331(4) बीएनएस दोनों अभियोग में धारा 317(2), 317(4) बी0एन0एस0 की बढ़ोत्तरी की गई है।

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि हम लोगों ने अपने साथियों के साथ मिलकर दिनांक 27/28.07.2024 की रात्रि में बीडी इंटर कॉलेज व स्नात्कोत्तर महाविद्यालय पूरे बुद्धि धर ग्राम पुरेली मखदुमपुर थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ के सीसीटीवी कैमरा, डीवीआर, माउस, बिजली के केबल, रूपये व मिश्रा ऑटो मोबाइल्स पेट्रोल पम्प बाबागंज के जनरेटर की बैटरी को चुराये थे। हम लोगों का एक समूह है जिसमें हम दोनों के अलावा लल्लू पुत्र बल्लू व उसका भाई तबरेज पुत्र बल्लू निवासीगण पूरे अली नक्कीपुर थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ तथा फिरोज पुत्र बबलू हत्था निवासी मीकगढ़वा थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ व शेरा पुत्र इकबाल निवासी ममरखापुर थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ है। हमारे समूह का लीडर शेरा उपरोक्त है, कब कहाँ चोरी करनी है इसकी योजना शेरा बनाता है और हम सभी को बुलाकर सबका काम बाँटता है तथा चोरी की घटना करने के बाद चोरी के सामान को शेरा द्वारा हम लोगों में बाँट दिया जाता है और चोरी के सामान को बेचने के बाद जो धनराशि प्राप्त होती है उसे शेरा अपने पास माँगता है और फिर सबका हिस्सा बाँट देता है। बरामद पैसे व सामान उन्ही चोरी में से है शेष पैसे खर्च हो गये है। हम दोनों लोग चोरी में जेल जा चुके हैं लेकिन हम चोरी , गैंगेस्टर व

आर्म्स एक्ट के मामले में जेल गये हैं। बिसाल अहमद का बाँया पैर ट्रेन से गिरने के कारण कट गया था जिसकी वजह से कई बार चोरी करते समय या चोरी का सामान बेंचते समय पुलिस द्वारा पकड़े गये हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01- समीर अहमद पुत्र सिराज अहमद उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम पूरे अली नक्कीपुर थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।

02- बिलाल अहमद पुत्र अफताब अहमद उम्र करीब 28 वर्ष ग्राम अलीगंज थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।

आपराधिक इतिहास-

01- समीर अहमद पुत्र सिराज अहमद उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम पूरे अली नक्कीपुर थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़-

1 मु.अ.सं0- 169/2024 धारा 303(2)/317(2)/317(4) BNS थाना संग्रागमढ जनपद प्रतापगढ

2 मु.अ.सं0- 170/2024 धारा 305/331(4)/317(2)/317(4) BNS थाना संग्रागमढ़ जनपद प्रतापगढ

3 मु.अ.सं0- 53/2024 धारा 457/380/411 भादवि थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़

02- बिलाल अहमद पुत्र अफताब अहमद उम्र करीब 28 वर्ष ग्राम अलीगंज थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़-

1 मु.अ.सं0- 149/2019 धारा 379/411 भादवि थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़

2 मु.अ.सं0- 201/2019 धारा 379/411 भादवि थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़

3 मु.अ.सं0- 116/2020 धारा 379/411 भादवि थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़

4 मु.अ.सं0- 158/2020 धारा 2/3 उ.प्र. गैंगेस्टर एक्ट थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़

5 मु.अ.सं0- 104/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़

6 मु.अ.सं0- 335/2023 धारा 13 जुआ अधि. थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़

7 मु.अ.सं0- 169/2024 धारा 303(2)/317(2)/317(4) BNS थाना संग्रागमढ़ जनपद प्रतापगढ़

8 मु.अ.सं0- 170/2024 धारा 305/331(4)/317(2)/317(4) BNS थाना संग्रागमढ़ जनपद प्रतापगढ़

बरामदगी-

1- चोरी के 01 मॉनिटर, 01 माउस, 01 डीवीआर(क्षतिग्रस्त), 02 कैमरा, बिजली का केबिल लगभग 25 फीट(क्षतिग्रस्त), 03 टूटा हुआ ताला व 10 हजार रूपये बरामद संबंधित मु0अ0सं0- 170/24

2- चोरी की 01 जेनरेटर की बैटरी (अमर राजा कम्पनी) बरामद संबंधित मु0अ0सं0- 169/24

3- 01 मोटर साइकिल टीवीएस बिना नम्बर प्लेट बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 प्रभाशंकर सचान मय हमराह उ0नि0 विनय वर्मा, का0 मन्दीप सिंह, का0 धनन्जय श्रीवास्तव थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोहड़ौर, जनपद प्रतापगढ़

थाना कोहड़ौर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोहड़ौर के उ0नि0 निकेत भारद्वाज मय हमराह हे0कां0 लाल बाबू शुक्ला, कां0 प्रवीण कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मु0नं0 10149/21 धारा 323, 504, 506, 427 भादवि से संबंधित वारण्टी अभियुक्त मनोज कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 लालता प्रसाद नि0ग्राम मदाफरपुर थाना कोहड़ौर जनपद प्रतापगढ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

मनोज कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 लालता प्रसाद नि0ग्राम मदाफरपुर थाना कोहड़ौर जनपद प्रतापगढ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 निकेत भारद्वाज मय हमराह हे0कां0 लालबाबू शुक्ला, कां0 प्रवीण कुमार थाना कोहड़ौर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना सांगीपुर, जनपद- प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

मारपीट/ गाली गलौच व हत्या के प्रयास के अभियोग में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

घटना में प्रयुक्त 01 अदद लाठी बरामद

थाना सांगीपुर पुलिस टीम नें थाना क्षेत्रान्तर्गत वीर बाबा का चबूतरा के सामने बाग से 01 अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 27.07.2024 को थाना सांगीपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सरुआ निवासिनी 01 महिला व उसके परिजन के साथ आरोपीगणों द्वारा एकराय होकर जान लेने के नियत से लाठी, डण्डो से मारपीट करने आदि आरोपों में प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 154/24 धारा 191(2), 191(3) 190, 115(2), 109, 110, 352, 324(4), 324(5), 333 बी0एन0एस0 बनाम 05 नामजद अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में आज दिनांक 30.07.2024 को थानाध्यक्ष मनीष कुमार त्रिपाठी के कुशल नेतृत्व में उ0नि0 सचिन कुमार मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 154/24 धारा 191(2), 191(3) 190, 115(2), 109, 110, 352, 324(4), 324(5), 333 बी0एन0एस0 में वांछित अभियुक्त - विजय वर्मा पुत्र तुलसीराम वर्मा नि0ग्राम कोड़री सरुआ थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र के वीर बाबा का चबूतरा के

सामने बाग से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के पास से 01 अदद लाठी बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

1- विजय वर्मा पुत्र तुलसीराम वर्मा नि0ग्राम कोड़री सरुआ थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी- घटना में प्रयुक्त 01 अदद लाठी बरामद

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -

उ0नि0 सचिन कुमार मय हमराह का0 अभिषेक मिश्रा, का0 संदीप कुमार थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली देहात के उ0नि0 सर्य प्रताप सिंह मय हमराह का0 कमलेश कुमार, का0 राजेश कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, अ0सं0- 81/2023 धारा 3/5ए/8 यू0पी0 गोवध निवारण अधि0 व 11(1)घ,पशु क्रुरता अधि0 से संबंधित वारण्टी अभियुक्त विजय कुमार पुत्र सधई निवासी ग्राम टेऊंगा थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ को उसके घर पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

विजय कुमार पुत्र सधई निवासी ग्राम टेऊंगा थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 सर्य प्रताप सिंह मय हमराह का0 कमलेश कुमार, का0 राजेश कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा. अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन,

एसपी के निर्देशन में थाना दिलीपपुर पुलिस की बड़ी कार्यवाही

जहर खुरानी की घटना का सफल अनावरण, पीड़ित ही निकला घटना का मास्टरमांइड

दिनांक 25.07.2024 को सुबह एक व्यक्ति उम्र करीब 30-35 वर्ष अचेत अवस्था मे ग्राम रसोईयां मे सडक किनारे पडा मिला था

अचेत व्यक्ति की पहचान सोशल मीडिया के माध्यम से की गयी थी

ट्रक पर लदे व्यापारी का माल (500 बोरी गेंहू) को गबन करने के इरादे से बनायी गयी थी योजना

गिरोह का 01 अभियुक्त गिरफ्तार व 06 अन्य अभियुक्तों को किया चिन्हित

01 ट्रक के साथ लदी हुई 50 बोरी गेंहू बरामद व अभियुक्त के पास से 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद

326 बोरी गेंहू जनपद जौनपुर बरसठी थाना में किया गया सीज व अतंर्गत धारा 3/7 ईसी एक्ट में पंजीकृत है मुकदमा

थाना दिलीपपुर पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत पट्टी चिलबिला मार्ग पर ग्राम देवनमऊ हाइवे पर स्थित सफेदा की बगिया के पास से 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

प्रतापगढ़ -

दिनांक 25.07.2024 को सुबह में ग्राम रसोइया में सड़क किनारे 01 व्यक्ति अचेत अवस्था में पाये जाने पर थाना दिलीपपुर में अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसमें विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मैनूअल/वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर घटना के संबंध में पीड़ित द्वारा अपने 06 साथियों के साथ मिलकर थाना कुंडा क्षेत्र के एक थोक व्यापारी के 500 बोरी गेंहू जो आरोपी के ट्रक पर लदकर विजय रोलर फ्लोर मिल हैदराबाद के लिए बाबूगंज कुण्डा से चित्रकूट के रास्ते ले जाया जाना था। आरोपियों द्वारा उक्त 500 बोरी गेंहू को गबन करने की योजना बनायी गयी थी जिससे संबंधित 01 अभियुक्त कुलदीप सिंह पुत्र कमलेश सिंह को घटना में प्रयुक्त ट्रक व 50 बोरी गेंहू तथा अवैध तमंचा कारतूस के साथ आज दिनांक 30.07.2024 को गिरफ्तार किया गया।

घटना का विवरण-

दिनांक 25.07.2024 को समय करीब 05ः30 बजे सुबह एक व्यक्ति उम्र करीब 30-35 वर्ष अचेत अवस्था मे ग्राम रसोईयां मे सडक किनारे पडा मिलने की सूचना थाना दिलीपपुर पुलिस को प्राप्त हुई थी। उक्त अचेत व्यक्ति को तत्काल जिला चिकित्सालय प्रतापगढ ईलाज हेतु ले जाया गया तथा उसके परिजनों का पता सोशल मीड़िया पर फोटो डालकर किया गया तो परिजनो की जानकारी हुई कुछ घण्टे बाद परिजन जिला चिकित्सालय प्रतापगढ आये जहाँ उन्होने बताया कि उक्त बेहोश व्यक्ति का नाम इरफान पुत्र मो0 इलियास नि0 कुटिलिया थाना जेठवारा प्रतापगढ़ है । इस संबंध में इरफान की पत्नी की तहरीर के आधार पर थाना

दिलीपपुर में मु0अ0सं0 135/2024 धारा 140(4), 309(4), 123 बीएनएस बनाम अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा उक्त घटना के शीघ्र अनावरण एवं अभियुक्तों को चिन्हित कर गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री आनन्द कुमार राय के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष उ0नि0 विवेक मिश्रा के नेतृत्व में उ0नि0 श्री दुर्गेश कुमार मय हमराह उ0नि0 सुरेश कुमार यादव द्वारा तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग व विवेचना के दौरान, मु0अ0सं0 135/24 धारा 140(4), 309(4), 123 बीएनएस से संबंधित ट्रक मय माल के साथ कुछ व्यक्ति देवनमउ गांव के पास चिलबिला से पट्टी जाने वाली सड़क पर लेकर खड़े हैं कि सूचना मुखबिर द्वारा पाकर कि पट्टी चिलबिला मार्ग पर ग्राम देवनमऊ हाइवे पर स्थित सफेदा की बगिया के पास से एक ट्रक व 03 व्यक्ति खड़े हैं जिन्हें पकड़ने का प्रयास किया गया तो 02 व्यक्ति भौगोलिक स्थिति का लाभ लेकर भाग निकले जबकि 01 व्यक्ति कुलदीप सिंह पुत्र कमलेश सिंह उर्फ मुन्ना नि0 गोपालापुर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ को 01 अवैध तमन्चा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 के साथ गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरणः- मैं व मेरे अन्य साथी 1. मो0 इरफान पुत्र मो० इलियास 2. इम्तियाज उर्फ कल्लू पुत्र मोहसिन निवासीगण कुटिलिया थाना जेठवारा जनपद प्रता. 3 रवि सिंह उर्फ रामसमुझ पुत्र महेश सिंह निवासी जमालापुर थाना रामपुर जनपद जौनपुर 4. शमशाद पुत्र अजात निवासी पूर्वी सहोदरपुर थाना कोतवाली

नगर प्रता., 5. बृजेश शर्मा उर्फ पिंटू शर्मा पुत्र दयाशंकर शर्मा निवासी मिसिद्दीपुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रता., 6 बंटी तिवारी पुत्र वीरेंद्र प्रसाद तिवारी निवासी सुभाषपुर पाली थाना मडियाहू जनपद जौनपुर आपस में मिलकर षड्यंत्र कर इरफान के 14 चक्का ट्रक यूपी 96 टी 1675 पर लदे गेहूं की बोरी को गबन करने की योजना बनाई इरफान व इम्तियाज उर्फ कल्लू ने शितांशु गुप्ता पुत्र मुन्नालाल गुप्ता निवासी बाबूगंज बाजार थाना कुण्डा प्रतापगढ़ से 500 बोरी गेहूं लादकर विजय रोलर फ्लोर मिल हैदराबाद पहुंचाने हेतु दिनांक 20.07.2024 को रात्रि में बाबूगंज कुंडा से चित्रकूट के रास्ते हैद्राबाद पहुंचने के लिए निकलना था परन्तु हम लोगो द्वारा पुर्व से सुनियोजित योजना के क्रम में मो० इरफान व इम्तियाज उर्फ कल्लू बताये हुए रास्ते से हैदराबाद न जाकर दो दिन उक्त ट्रक को मय माल के साथ अपने घर पर कुटिलिया गांव जेठवारा में खड़ा कर दिये और वही पर कुछ माल गेहूं उतार कर रख लिये व बटी तिवारी उपरोक्त द्वारा योगेश दुबे पुत्र राजकुमार दुबे निवासी नाहरपुर थाना बरसठी जनपद जौनपुर के बरसठी में स्थित गोदाम को जिसे सचिन पटेल पुत्र सभापति पटेल निवासी साहो पट्टी थाना मडियाहू जनपद जौनपुर ने योगेश दूबे उपरोक्त के गोदाम को ₹4000 किराए पर लिया था, उक्त माल के गबन के लिए रुपए का लालच देकर सचिन पटेल से गेहू रखने के लिए उक्त गोदाम को ले लिया।

मो० इरफान व इम्तियाज द्वारा योजनाबद्ध तरीके से दिनांक 23.07.2024 को अपने ट्रक को मय माल के साथ भूपियामऊ चैराहे पर रात्रि में बारह बजे के लगभग पहुंचे, जहां से पूर्व नियोजित योजना के अनुसार मै व मेरे साथी शमशाद व बृजेश उर्फ पिंटू शर्मा व इम्तियाज उर्फ कल्लू उक्त ट्रक को लेकर बरसठी जौनपुर में स्थित

गोदाम में माल उतारने के लिए निकले। मो० इरफान भूपियामऊ के पास ही उत्तर गया ताकि उसकी लोकेशन ट्रेस ना हो सके।

हम लोग रास्ते में पड़ने वाले टोल प्लाजा से बचने के लिए टोल प्लाजा से पहले निकले हुए रास्ते से ट्रक का नम्बर प्लेट हटा कर दिनांक 23.07.2024 समय करीब 6.00 से 7.00 बजे के बीच बरसठी जौनपुर स्थित गोदाम पर पहुंचे, जहाँ पर पहले से ही बंटी तिवारी व रवि सिंह पूर्व नियोजित योजना के अनुसार उक्त गोदाम पर मौजूद थे। बटी तिवारी व रवि सिंह की मदद से हम लोगों ने ट्रक पर लदे हुए गेहू की बोरी को उक्त गोदाम पर उतरवाने लगे। हम लोगों द्वारा उक्त गोदाम में करीब 350 से 400 बोरी माल उतारा ही था कि स्थानीय लोगों के विरोध करने पर शेष बोरी माल लेकर ट्रक के साथ मैं व इमित्याज उर्फ कल्लू, शमशाद व बृजेश शर्मा उर्फ पिन्टू शर्मा मौके से भाग निकले।

हम लोग ट्रक लेकर फतनपुर थाने से दो तीन किमी पहले रूक कर रवि सिंह व बंटी तिवारी व मो० इरफान का इंतजार कर रहे थे, अगले दिन 24.07.2024 की रात में उन लोगो के आ जाने के पश्चात हम लोगो का माल फस जाने के कारण हम लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए फतनपुर में लूट की झूठी योजना बनाई जिससे किसी को हम लोगों पर संदेह न हो, उक्त योजना में मो० हरफान ने बताया कि मैं नींद की गोली का ओवरडोज ले लूंगा जिससे मैं अचेत हो जाउंगा, बृजेश शर्मा उर्फ पिंटू शर्मा व शमशाद मुझे ऐसी जगह पर छोड़ देंगे जहां पर आसानी से लोग मुझे देख लेंगे व शीघ्र ही पुलिस को सूचित कर देंगे जिससे मुझे शीघ्र ही समुचित इलाज मिल सके।

बंटी तिवारी ने बताया कि मैं उक्त गोदाम में पड़े हुए माल के संबंध में कागजात बनवाकर उक्त माल को छुड़ा लूंगा। तब तक उक्त ट्रक को शेष बचे माल के साथ कही छुपा दिया जाय। योजना के अनुसार में व इम्तियाज उर्फ कल्लू व रवि सिंह उर्फ राम समुड़झ उक्त ट्रक के साथ शेष बचे हुए माल के साथ लेकर जामताली के पास बगीचे में छुपा दिए और यही से कुछ माल शमशाद व पिन्टू शर्मा अपने साथ लेकर चले गये।

दिनांक 24/25.07.24 की रात्रि में 03ः00 बजे के करीब बृजेश शर्मा उर्फ पिंटू शर्मा व शमशाद द्वारा मो० इरफान के नींद के गोली का ओवरडोज लेने के पश्चात मो० इरफान को थाना दिलीपपुर क्षेत्र के रसोईया तिराहे के पास बृजेश शर्मा उर्फ पिंटू शर्मा के बुलेट से ले जाकर जमीन पर लिटा दिया, जहां राहगीरों द्वारा पुलिस को सूचना देने पर उसके समुचित इलाज हेतु जिला अस्पताल प्रतापगढ़ भर्ती कराया गया जहां से चिकित्सको द्वारा उसे स्वरूप रानी प्रयागराज रेफर कर दिया गया। आज मैं वह पिटू शर्मा व शमशाद उक्त बचे हुए माल को बेचने जा रहे थे कि आप लोगों द्वारा मुझे पकड़ लिया गया।

मौके से भागे हुए साथियों के संबंध में पूछने पर उसके द्वारा बताया गया कि जो दो व्यक्ति मौके से भागे है उनका नाम शमशाद व बृजेश शर्मा उर्फ पिंटू शर्मा उपरोक्त है।

मुकदमा उपरोक्त में धारा 140(4)/309(4)/123 बीएनएस 2023 का लोप कर धारा 310 (2)/317(3)/217/318(4)/61 (2) बीएनएस 2023 व धारा 3/25 आर्म्स

एक्ट की बढोत्तरी की गयी। तथा धारा 140 (4)/309(4)/123 बीएनएस 2023 का मुकदमा उपरोक्त से लोप किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- कुलदीप सिंह पुत्र कमलेश सिंह उर्फ मुन्ना नि0 गोपालापुर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी का विवरण-

1- घटना में प्रयुक्त 01 ट्रक नं0 यूपी 96 टी 1675।

2- 50 बोरी गेंहू ।

3-01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद

कुलदीप सिंह पुत्र कमलेश सिंह उर्फ मुन्ना नि0 गोपालापुर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 133/23 धारा 307 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़

गिरफ्तारी पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 दुर्गेश कुमार मय हमराह उ0नि0 सुरेश यादव, कां0 विलास यादव, कां0 विनोद कुमार थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

अपहरण/ दुष्कर्म करने के अभियोग में 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

अभियुक्त को थाना क्षेत्र हथिगवां के बरौधा मोड़ के पास से किया गया गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आरोपी अभियुक्त द्वारा दिनांक 09.06.2024 की रात्रि में थानाक्षेत्र हथिगवां के ग्राम बडूपुर से वादनी की पुत्री का अपहरण / दुष्कर्म करने के संबंध में वादिनी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना हथिगवां में मु0अ0सं0-117/2024 धारा 363/366/376 भा0द0वि0 व 3/ 4 पॉक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में थाना हथिगवां के उ0नि0 राहुल कुमार मय हमराह देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त, संदिग्ध व्यक्तियों, पेंण्डिग विवेचना के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-

117/2024 धारा 363/366/376 भा0द0वि0 व 3/ 4 पॉक्सो एक्ट थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित अभियुक्त राजकुमार गौतम पुत्र जगन्नाथ प्रसाद निवासी शाहपुर उचकी पट्टी थाना बिसनपुरा जनपद कुशीनगर को थाना क्षेत्र के बरौधा मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

राजकुमार गौतम पुत्र जगन्नाथ प्रसाद निवासी शाहपुर उचकी पट्टी थाना बिसनपुरा जनपद कुशीनगर।

पुलिस टीम-

उ0नि0 राहुल कुमार मय हमराह उ0नि0 विवेक पाण्डेय, हे0का0 सतेन्द्र सिंह, थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़।

थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़

थाना पट्टी पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना पट्टी के उ0नि0 अतर सिंह मय हमराह कां0 रामरतन मिश्रा द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मु0नं0 622/16 मु0अ0सं0 120/2013 धारा 363, 366 भादवि से संबंधित वारण्टी अभियुक्त अजय उर्फ पप्पू यादव पुत्र छोटेलाल नि0ग्राम उडैयाडीह थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त का विवरण-

अजय उर्फ पप्पू यादव पुत्र छोटेलाल नि0ग्राम उडैयाडीह थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 अतर सिंह मय हमराह कां0 रामरतन मिश्रा थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।